न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 08/2021 निर्णय दिनांक 18.04.2022

ऑनलाईन नंबर 2021/7

शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर जरिये हाल शाखा प्रबन्धक मदनलाल विश्नोई बैंक ऑफ बडौदा शाखा सूडसर।

बनाम

1. फूसाराम पुत्र सरदाराराम
2. अशोक कुमार पुत्र भागीरथ
3. लूणीदेवी पत्नी फूसाराम
4. श्रवणराम पुत्र फूसाराम
5. मोहनराम पुत्र फूसाराम
6. आसाराम पुत्र फूसाराम
7. जेठी पुत्री फूसाराम
8. परमा पुत्री फूसाराम
9. मीरांदेवी पत्नी भागीरथ
10. सरस्वती पुत्री भागीरथ
11. गीता पुत्री भागीरथ
12. कली पुत्री सरदाराराम
13. चन्दू पुत्री सरदाराराम

जाति नाई निवासीगण देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ
15. उपपंजीयक कार्यालय श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

उपस्थितिः–

1. श्री राजूराम जाखड अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री के.के. पुरोहित अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 व 3 ता 13
3. श्री राजूराम बाना अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 02

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 153 सी.पी.सी.

यह प्रार्थना पत्र शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेरं जरिये हाल शाखा प्रबन्धक मदनलाल विश्नोई बैंक ऑफ बडौदा शाखा सूडसर ने जरिये अधिवक्ता मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 फूसाराम की खातेदारी के खेत खसरा नंबर 20 तादादी 4.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 469 तादादी 5.59 हैक्टेयर व खसरा नंबर 698/53 तादादी 7.59 हैक्टेयर वाकेरोही देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 फूसाराम ने अप्रार्थी संख्या 2 के पिता भागीरथ के साथ मिलकर अपने खातेदारी की उपरोक्त खसरान की भूमि पर प्रार्थी बैंक से के.सी.सी/ए.टी.एल. के रूप में सन 2015–16 में ऋण लिया था जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 की उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थी बैंक के नाम रहन दर्ज हो गई तब से रहन चली आ रही है। अप्रार्थी संख्या 1 फूसाराम ने प्रार्थी बैंक से ऋण लेने के पश्चात बैंक की बकाया ऋण राशि का भुगतान समय पर नही किया इसलिए प्रार्थी बैंक ने रोडा एक्ट के तहत कार्यवाही प्रस्तुत कर दी जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 फूसाराम पर वसूली नोटिस तामील [illegible] गई। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 फूसाराम पर प्रार्थी बैंक का [illegible] 000/– रूपये (अखरे तीस लाख रूपये) बकाया हो चुके है। अप्रार्थी संख्या 1 फूसाराम प्रार्थी बैंक [illegible]काया

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:24:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

कब्जा राशि भुगतान जानबुझकर नहीं करना चाहता इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 13 ने आपस में दुरभिसंधी करके अप्रार्थी संख्या 14 व 15 के साथ साजबाज कर के साथ शरीक करके श्रीमानजी के न्यायालय में एक दावा अनुवानी अशोक कुमार बनाम फूसाराम आदि व दावा 113/2019 अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 19.11.2019 को प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 1 की उपरोक्त खातेदारी प्रार्थी बैंक के यहां रहन थी इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 13 को उपरोक्त खातेदारी की भूमि का विभाजन करवाने का कोई अधिकार नहीं था। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अनुवानी दावा में प्रार्थी बैंक को पक्षकार जानबूझकर संयोजित नहीं किया जबकि उक्त दावा में प्रार्थी बैंक आवश्यक पक्षकार थी इसलिए प्रार्थी बैंक अपने अधिकारों से वंचित हो गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 13 ने आपस में दुरभिसंधी करके माननीय न्यायालय से दिनांक 20.12.2019 को विभाजन का दावा अपने पक्ष में डिक्री करवा लिया जो गलत एवं गैरकानूनी है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 फूसाराम की उपरोक्त खातेदारी की भूमि का मालिक अप्रार्थी संख्या 1 फूसाराम नहीं बल्कि प्रार्थी बैंक भी थी। उक्त खसरान भूमि बाबत प्रस्तुत दावा अनुवानी अशोक कुमार बनाम फूसाराम आदि में न्यायालय श्रीमान द्वारा विभाजन डिक्री करने से अप्रार्थी संख्या 2 अशोक कुमार के नाम खसरा नंबर 885/469 तादादी 0.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 887/698 तादादी 3.79 हैक्टेयर कायम हो गये तथा अप्रार्थी संख्या 5 मोहनराम के नाम खसरा नंबर 884/469 तादादी 1.01 हैक्टेयर कायम हुए तथा अप्रार्थी संख्या 4 श्रवणराम के नाम खसरा नंबर 883/469 तादादी 0.70 हैक्टेयर, खसर नंबर 886/698 तादादी 3.80 हैक्टेयर कायम हुए तथा अप्रार्थी संख्या 6 आसाराम के नाम खसरा नंबर 20 तादादी 4.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 882/469 तादादी 3.28 हैक्टेयर वाकेरोही देराजसर के रूप में कायम हो गये। दिनांक 05.01.2021 को अप्रार्थी संख्या 2, 4, 5, 6 प्रार्थी की बैंक में आये थे तब प्रार्थी बैंक ने अपने बकाया ऋण की मांग की व अप्रार्थी संख्या 2, 4, 5, 6 को कहा कि आप बैंक का बकाया ऋण जमा करवाकर अपने पिता अप्रार्थी संख्या 1 फूसाराम के खातेदारी की भूति अलग–अलग करवा लो, आपके सुविधा रहेगी तब अप्रार्थी संख्या 2, 4, 5, 6 ने प्रार्थी बैंक को कहा कि हमने तो अपने पिता फूसाराम की उपरोक्त खातेदारी भूमि को अलग–अलग करवा लिया है तथा बैंक के रहन का अंकन भी हटवा दिया है तथा प्रार्थी बैंक को धमकी दी कि हम दूसरी बैंक से ऋण ले लेगे तब प्रार्थी बैंक को इस प्रकरण की जानकारी हुई तथा न्यायालय श्रीमान के कार्यालय से प्रमाणित नकले निकलवाई तो प्रार्थी बैंक को पता चला कि प्रार्थी बैंक के नाम रहन भूमि का अंकन हटवा लिया है तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अनुवानी अशोक कुमार बनाम फूसाराम आदि में प्रार्थी बैंक को पक्षकार नहीं बनाया है। अप्रार्थीगण द्वारा जानबुझकर प्रार्थी बैंक को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि अप्रार्थीगण को इस बात की जानकारी थी कि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि प्रार्थी बैंक के नाम रहन चल आ रही है। अप्रार्थीगणो द्वारा श्रीमानजी के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावा अशोक कुमार बनाम फूसाराम आदि में आवश्यक पक्षकार प्रार्थी बैंक को पक्षकार बनाये बिना न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में नही था तथा ना ही सुनवाई का अधिकार था। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत अनुवानी दावा में वर्णित कृषि भूमि पर बैंक वसूली हेतु रोडा एक्ट के तहत एक दावा अनुवानी बैंक ऑफ बडौदा बनाम फूसाराम न्यायालय श्रीमान के समक्ष विचाराधीन है। रोडा एक्ट के तहत प्रार्थी बैंक को पक्षकार बनाये बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:24:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी विभाजन या अन्य कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं था इसलिए अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रकरण अशोक कुमार बनाम फूसाराम आदि निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थी बैंक को अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विभाजन का दावा अनुवानी अशोक कुमार बनाम फूसाराम आदि में प्रार्थी बैंक को ना ही कोई पक्षकार बनाया तथा ना ही प्रार्थी बैंक को कोई सूचना दी गई। हस्तगत प्रकरण में प्रक्रिया की पालना नहीं हुई इसलिए प्रार्थी बैंक को सुनवाई के मौलिक व विधिक अधिकारों का हनन होकर सारी कार्यवाही अप्रार्थीगण ने दुरभिसंधी करके न्यायालय श्रीमान से करवाई है जो कि गलत एवं निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थी बैंक को सुनवाई का अवसर देकर विभाजन की डिक्री निरस्त यदि न्यायालय श्रीमान द्वारा नहीं की गई तो प्रार्थी बैंक न्याय से वंचित हो जावेगी तथा प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 फूसाराम को दिए गए ऋण की वसूली से भी वंचित हो जावेगी जिससे प्रार्थी बैंक को बड़ी भारी क्षति होगी। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण ने मिलकर षडयंत्र रचकर सारी कार्यवाही को अंजाम दिया है, इसलिए न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 20.12.2019 को जारी आदेश व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थी बैंक को जैसे ही प्रकरण की जानकारी हुई तो प्रार्थी बैंक ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। जानकारी की दिनांक से प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रकरण अनुवानी अशोक कुमार बनाम फूसाराम आदि प्रकरण संख्या 1*3/2019 निर्णय दिनांक 20.12.2019 का आदेश निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थी बैंक को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिक आवश्यक आदेश पारित किया जावे तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो खेत खसरा नंबर 885/469 तादादी 0.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 887/698 तादादी 3.79 हैक्टेयर, खसरा नंबर 884/469 तादादी 1.01 हैक्टेयर, खसर नंबर 883/469 तादादी 0.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 886/698 तादादी 3.80 हैक्टेयर, खसरा नंबर 20 तादादी 4.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 882/469 तादादी 3.28 हैक्टेयर वाकेरोही देराजसर को किसी भी प्रकार से विक्रय, हस्तान्तरण नहीं करे ना ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य करें जिससे प्रार्थी बैंक के अधिकारो पर विपरीत असर पड़ता हो। अप्रार्थीगण ताप्रार्थना पत्र फैसला मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे क्योकि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक को धमकी दी है कि हम उपरोक्त कृषि भूमि पर दूसरी बैंक से ऋण ले लेगे या वादगत भूमि को विक्रय कर देगे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को ज़रिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ज़रिये अंधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु जवाब प्रार्थना पत्र पेश करनें हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने का अवसर बन्द किया गया। बहस एकतरफा सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट की नजीर आरआरटी 2015(1) पेज नं. 319 श्रीहरि बनाम सैयद मक़दूम शाह आदि एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 151, 152, 153 प्रस्तुत की गई। [illegible] मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ सुनिश्चित करें कि पूर्व जमाबन्दी में रहन अंकित था और विभाग के द्वारा [illegible] से अंकन हटाया गया और वर्तमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:24:21 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

में सम्पूर्ण जांच करें कि अभी तक अगर प्रतिवादीगण द्वारा वादी बैंक का लोन नहीं चुकाया गया है तो पुनः रहन का अंकन वर्तमान जमाबन्दी में करें।

आदेश आज दिनांक 18.04.2022 को सरे इजलास सुनया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:24:21 IST
Reason: SelfAttested